INDIA TEN RUPEES

TEN RUPEES

(58)

R-492-III/09

नत्थूलाल साहू उम्र 50 वर्ष तनय सीखीलाल साहू निवासी बड़ी उमरी, तहसील नागौद जिला सतना म.प्र. ------------ निगराकार

बनाम

RI92770
S.P. 101111385
1-5-09

1. सीखीलाल साहू तनय मसलुआ साहू,
2. भगवतदीन साहू तनय सीखीलाल साहू, दोनो निवासी बड़ी उमरी, तहसील नागौद हाल पता सुरदहा कला पो0 सुरदहा तहसील नागौद, जिला सतना म.प्र. ------------ गैरनिगराकारगण

निगरानी विरुद्ध श्रीमान अपर कमिश्नर रीवा के अपील प्र0 क्र0 -162/अपील/08-09 मे पारित आदेश दिनांक 06.03.2009

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

क्रमांक 872 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 1-5-09 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

विनम्र निवेदन है कि निगराकार निम्नांकित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है कि :-

1. यह कि निगराकार ने श्रीमान नायब तहसीलदार साहब वृत्त जसो के समक्ष धारा 178, 109, 110 म.प्र.भू.रा.सं. के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि निगराकार एवं गैरनिगराकारगण एक संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। निगराकार का गैरनिगराकार क्र. 1 पिता एवं गैरनिगराकार क्र. 2 सगा छोटा भाई है। एवं ग्राम उमरी की आ.नं. 1137/2 रकवा साढे 6 विश्वा, आ.नं. 1574/3 रकवा 0.202 है., आ.नं. 736/3 रकवा ढाई विश्वा, आ.नं. 975/3 रकवा साढे 10 विश्वा, आ.नं. 1078/7 रकवा 3 विश्वा, आ.नं. 979/2 रकवा 1 बीघा 6 विश्वा, आ.नं. 1571/2ग रकवा 0.87

2...

नत्थूलालसाहू

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 492–तीन / 2009 जिला –सतना

थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–06–2016	आवेदक अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित । उनके द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 162 / अपील / 2008–09 में पारित आदेश दिनांक 06.03.09 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 2 / आवेदक अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा ने न्यायालय का ध्यान अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.09 के पैरा 3 की अंतिम 4 पंक्तियों की ओर किया है, इस आदेश से व्यथित होकर नत्थूलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील निरस्त की गई जिसके विरूद्ध यह अपील अपर आयुक्त रीवा के यहॉ प्रस्तुत की गई । निगरानीकर्ता के अभिभाषक का यह तर्क कि नत्थूलाल ने अपील पेश नहीं की वरन अनावेदक क्र0 2 भगवतदीन द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है । 3 / अनावेदक अभिभाषक श्री कुवंर सिंह कुशवाह द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्ध अपने तर्क में यह बताया है कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा आदेश पत्रिका में यह त्रुटिपूर्ण लेख किया है कि नत्थुलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत	

की गई थी । वास्तविक स्थिति यह है कि अपील भगवतदीन अनावेदक क्र0 2 के द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अभिभाषक बुलाये ग्रह्यता के बिन्दु पर ही अपील खारिज करने की त्रुटि की है ।

4/ उभयपक्ष के तर्क सुने गये तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तथा अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि निगरानीकर्ता के अभिभाषक द्वारा तर्क में कही बात सही है । प्रतिप्रार्थी के विरोध में कोई बल न पाने से निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है और अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2009 निरस्त किया जाता है और अपर आयुक्त न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जावे ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य

P.T.O